रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 1999/भाद्र 23, 1921

No. 563] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1999/BHADRA 23, 1921

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1999

का.आ. 763(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा यथाअपेक्षित एक प्रारूप अधिसूचना जिसमें कतिपय निदेश अंतर्विष्ट हैं, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 453(अ), तारीख 22 मई, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्रित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उसी तारीख को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

और पर्यावरण का संरक्षण, उपरिमृदा संरक्षण और भूमि पर कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से निस्सारित फ्लाई एश का संन्निक्षेपण और व्ययन करने का निवारण करना आवश्यक है ;

और ईंटों के विनिर्माण के लिए उपरिमृदा के उत्खनन को निर्बंधित करने की तथा कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से पचास किलोमीटर के विनिर्दिष्ट व्यास के भीतर भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और सन्निर्माण क्रिया कलापों में फ्लाई एश के उपयोग को सम्प्रवर्तित करने की आवश्यकता है ;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंटर फार पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन दिल्ली बनाम युनियन आफ इन्डिया की सिविल रिट याचिका संख्यांक 2145/99 में अपने 25 अगस्त, 1999 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को फ्लाई एश की बाबत अन्तिम अधिसूचना 26 अक्तूबर, 1999 को या उससे पूर्व प्रकाशित करने का निदेश दिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरिकथित आदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्देश जारी करती है जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख् को प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

1. ईंटों के विनिर्माण और अन्य सन्निर्माण क्रिया कलापों के फ्लाई एश, बोटम एश या पोंड एश का उपयोग :-

(1) कोई व्यक्ति, कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से पचास किलोमीटर के व्यास के भीतर सन्निर्माण क्रिया कलापों में उपयोग के लिए मृदा में भार दर भार के आधार पर (फ्लाई एश, बोटम एश या पोंड एश) के कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत मिश्रण के बिना मिट्टी, ईंटों या टाइलों या ब्लोकों का विनिर्माण नहीं करेगा ।

(2) ऊपर पैरा (1) के अनुसार एश की विनिर्दिष्ट मात्रा के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, यथास्थिति सम्बद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का क्षेत्रीय अधिकारी प्राधिकारी होगा । इसका अनुपालन न किए जाने की दशा में उक्त प्राधिकारी ईट भट्टा की स्थापना के लिए जारी अनुमति आदेश को रद्द करने के अतिरिक्त उक्त खनन पट्टा रद्द किए जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध करेगा । उक्त खनन पट्टा रद्द करने का विनिश्चय सम्यक् सुनवाई के पश्चात् किया जाएगा । उक्त प्राधिकारी को वास्तविक एश के उपयोग का सत्यापन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए तापीय विद्युत संयंत्र प्रत्येक ईट भट्टे को उपलब्ध कराई गई एश का मासिक अभिलेख बनाए रखेगा ।

(3) उक्त विद्युत संयंत्र द्वारा यथा प्रमाणित पर्याप्त मात्रा में तापीय विद्युत संयंत्र से एश की अनुपलब्धता की दशा में सम्बद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ऊपर पैरा (1) के अधीन अनुबंध को समुचित रूप से उपान्तरित (त्यजन/शिथिल) करेगा ।

(4) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र एक विवाद निपटारा समिति का गठन करेगा जिसमें तापीय विद्युत संयंत्र का महाप्रबंधक और अखिल भारतीय ईट और टाईल विनिर्माण संघ का प्रतिनिधि होगा । ऐसी समिति बिना कोई समय गंवाए एश की अबाध लदाई और परिवहन सुनिश्चित करेगी । किसी अनसुलझे विवाद की बाबत कार्रवाई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर की समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय ल विनिर्माण संघ के प्रतिनिधि होंगे ।

...युत संयंत्र द्वारा एश का उपयोग -

सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र नीचे दिए गए विद्युत संयंत्रों में उत्पादित एश का उपयोग करेंगे, अर्थात् :-

(1) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम-से-कम दस वर्ष के लिए एश आधारित भवन सामग्री जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ब्लाक, ईंटें, पैनल या किसी अन्य सामग्री के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए या सड़कों, तटबंधों, बांधों, नहरों के सन्निर्माण के लिए या किसी अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों के लिए बिना किसी संदाय या किसी अन्य प्रतिफल के एश उपलब्ध कराएगा ।

(2) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र जिसे ऐसी पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों के अधीन आरंभ किया गया है, जिसमें संपूर्ण फ्लाई एश का उपयोग करने के लिए कार्य योजना अनुबद्ध की गई हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन से नौ वर्ष की अवधि के भीतर योजना के अनुसार भूमि पर फ्लाई एश के सन्निक्षेपण और व्ययन को बंद कर देगा । ऐसी कार्य योजना में विद्युत संयंत्र में उत्पादित सम्पूर्ण एश का नवें वर्ष की समाप्ति तक उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीन वर्ष के भीतर तीस प्रतिशत फ्लाई एश के उपयोग के साथ आगामी छह वर्षों में उपयोग में उत्तरोत्तर प्रति वर्ष कम-से-कम दस प्रतिशत की और वृद्धि की व्यवस्था होगी । इस संबंध में पांच वर्ष के पश्चात् प्रगति का पुनरावलोकन किया जाएगा ।

(3) ऊपर पैरा (2) के अंतर्गत न आने वाले प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर, विद्युत संयंत्रों द्वारा तैयार की जाने वाली कार्य योजना के अनुसार फ्लाई एश के उपयोग को बंद कर देंगे । ऐसी कार्य योजना में विद्युत संयंत्र में उत्पादित संपूर्ण फ्लाई एश का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर फ्लाई एश के बीस प्रतिशत के उपयोग के साथ आगामी बारह वर्षों के लिए उत्तरोत्तर प्रति वर्ष उपयोग में वृद्धि की व्यवस्था होगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपपैरा (2) और (3) के अधीन कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा तैयार की गई सभी कार्य योजनाएं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएंगी ।

(5) केन्द्रीय और राज्य सरकार अभिकरण, राज्य विद्युत बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और तापीय विद्युत संयंत्रों के प्रबंधक, उत्पादन क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए भूमि, विद्युत और जल की व्यवस्था करेंगे और उस क्षेत्र के समीप जहां विद्युत संयंत्र में फ्लाई एश का उत्पादन होता है, एश आधारित उत्पादन एककों की स्थापना और संवर्धन करने के लिए एश उत्थापन क्षेत्र तक पहुंचने की व्यवस्था करेंगे ।

(6) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों की अनुपालना के बारे में जानकारी देने वाली क्रियान्वयन रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी ।

3. एश आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए विनिर्देश-

(1) एश आधारित उत्पादों जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ब्लॉक, ईंटों, पैनल या किसी अन्य सामग्री का विनिर्माण या सन्निर्माण क्रियाकलापों जैसे सड़कें बिछाना, तटबंधों में एश का उपयोग या ढलाऊँ क्षेत्रों को उपयोगी बनाने के लिए भूमिभरण के रूप में उपयोग जिसके अंतर्गत खाली पड़ी खानों या गडढों की पृष्ठभूमि भरना भी है या कोई अन्य उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य अभिकरणों द्वारा अधिकथित विनिर्देशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य सन्निर्माण अभिकरण, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो प्राइवेट सैक्टर में हैं, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर अपने-अपने विनिर्देशों और सन्निर्माण उपयोजनाओं की अनुसूचियों में, जिसके अंतर्गत समुचित मानक और आचार संहिता है, एश और एश आधारित उत्पादों का उपयोग विहित करेंगे ।

(3) सभी स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, अपनी-अपनी भवन उपविधियों और विनियमों में, भवन सामग्री, सड़कों, तटबंधों में या किसी अन्य उपयोग के लिए एश और एश आधारित उत्पादों का उपयोग और सन्निर्माण तकनीकें विहित करेंगे ।

[फा०सं० 16-2/95-एच एस एम डी]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

THE GAZETTE OF INDIA

EXTRAORDINARY

PART II -- Section 3 -- Sub-section (ii)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 1999

S.0.763(E).- Whereas a draft notification containing certain directions was published, as required by subrule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 453(E) dated 22nd May, 1998 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the same date;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Where as it is necessary to protect the environment, conserve top soil and prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal power plants on land;

And, whereas, there is a need for restricting the excavation of top soil for manufacture of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacture of building materials and in construction activity within a specified radius of fifty kilometers from coal or lignite based thermal power plants;

And, Whereas, the Hon'ble High Court of Judicature, Delhi vide its order dated 25th August, 1999 in CWP No. 2145/99 Centre for Public Interest Litigation, Delhi v/s Union of India directed that the Central Government to publish the final notification in respect of fly ash on or before 26th October, 1999;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); and in pursuance of the orders of the Hon'ble High Court, Delhi stated above, the Central Government hereby issues the following directions which shall come into force on the date of the publication of this notification, namely:-

1. **Use of fly ash, bottom ash or pond ash in the manufacture of bricks and other construction activities.-**

(1) No person shall within a radius of fifty kilometers from coal or lignite based thermal power plants, manufacture clay bricks or tiles or blocks for use in construction activities without mixing at least 25 per cent of ash (fly ash, bottom ash or pond ash) with soil on weight to weight basis. '

(2) The authority for ensuring the use of specified quantity of ash as per para (1) above shall be the concerned Regional Officer of the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee as the case may be. In case of non-compliance, the said authority, in addition to cancellation of consent order issued to establish the brick kiln, shall move the district administration for cancellation of mining lease. The cancellation of mining lease shall be decided after due hearing. To enable the said authority to verify the actual use of ash, the thermal power plant shall maintain month-wise records of ash made available to each brick kiln.

(3) In case of non-availability of ash from thermal power plant in sufficient quantities as certified by the said power plant, the stipulation under para (1) shall be suitably modified (waived/ relaxed) by the concerned State/Union Territory Government.

(4) Each coal or lignite based thermal power plant shall constitute a dispute settlement committee which shall include the General Manager of the thermal power plant and a representative of All India Brick and Tile Manufacture's Federation (AIBTMF). Such a committee shall ensure unhindered loading and transport of ash without any undue loss of time. Any unresolved dispute shall be dealt with by a State/Union Territory level committee to be set up by State/Union Territory Government comprising Member Secretary of the State Pollution Control Board/Pollution Control Committee, representatives of Ministry of Power in the State/Union Territory Government and a representative of AIBTMF.

2. Utilisation of ash by Thermal Power Plants.

All coal or lignite based thermal power plants shall utilise the ash generated in the power plants as follows: -

(1) Every coal or lignite based thermal power plant shall make available ash, for at least ten years from the date of publication of this notification, without any payment or any other consideration, for the purpose of manufacturing ash-based products such as cement, concrete blocks, bricks, panels or any other material or for construction of roads, embankments, dams, dykes or for any other construction activity.

(2) Every coal or lignite based thermal power plant commissioned subject to environmental clearance conditions stipulating the submission of an action plan for full utilisation of fly ash shall, within a period of nine years from the publication of this notification, phase out the dumping and disposal of fly ash on land in accordance with the plan. Such an action plan shall provide for thirty per cent of the fly ash utilisation, within three years from the publication of this notification with further increase in utilisation by atleast ten per cent points every year progressively for the next six years to enable utilisation of the entire fly ash generated in the power plant atleast by the end of ninth year. Progress in this regard shall be reviewed after five years.

(3) Every coal or lignite based thermal power plant not covered by para (2) above shall, within a period of fifteen years from the date of publication of this notification, phase out the utilisation of fly ash in accordance with an action plan to be drawn up by the power plants. Such action plan shall provide for twenty per cent of fly ash utilisation within three years from the date of publication of this notification, with further increase in utilisation every year progressively for the next twelve years to enable utilisation of the entire fly ash generated in the power plant.

(4) All action plans prepared by coal or lignite based thermal power plants in accordance with sub-para (2) and (3) of para 2 of this notification, shall be submitted to the Central Pollution Control Board/Committee and concerned, State Pollution Control Board/Committee and concerned regional office of the Ministry of Environment and Forests within a period of six months from the date of publication of this notification.

(5) The Central and State Government Agencies, the State Electricity Boards, the National Thermal Power Corporation and the management of the thermal power plants shall facilitate in making available land, electricity and water for manufacturing activities and provide access to the ash lifting area for promoting and setting up of ash-based production units in the proximity of the area where ash is generated by the power plant.

(6) Annual implementation report providing information about the compliance of provisions in this notification shall be submitted by the 30th day of April every year to the Central Pollution Control Board, concerned State Pollution Control Board/Committee and the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests by the coal or lignite based thermal power plants.

3. Specifications for use of ash-based products.-

(1) Manufacture of ash-based products such as cement, concrete blocks, bricks, panels or any other material or the use of ash in construction activity such as in road laying, embankments or use as

landfill to reclaim low lying areas including back filling in abandoned mines or pitheads or for any other use shall be carried out in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Bureau of Mines, Indian Road Congress, Central Building Research institute, Roorkee, Central Road Research Institute, New Delhi, Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, Central Public Works Department, State Public Works Departments and other Central and State Government agencies.

(2) The Central Public Works Department, Public Works Departments in the State/Union Territory Governments, Development Authorities, Housing Boards, National Highway Authority of India and other construction agencies including those in the private sector shall also prescribe the use of ash and ash-based products in their respective schedules of specifications and construction applications, including appropriate standards and codes of practice, within a period of four months from the publication of this notification.

(3) All local authorities shall specify in their respective building bye-laws and regulations the use of ash and ash-based products and construction techniques in building materials, roads, embankments or for any other use within a period of four months from the date of publication of this notification.

IndiaCode

[F. No. 16-2/95-HSMD]

V RAJAGOPALAN, Jt.. Secy.